अंचल अधिकारी का न्यायालय, गोमिया (बोकारो)।

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 129)

मनोज कुमार
बनाम
प्रियंजय कुमार यादव

आदेश पत्रक ता0– 24/02/25 से तक

जिला– बोकारो केश सं0– 72 / 2024–25

केश का प्रकार– विविध वाद

आदेश क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गयी कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
24/02/2025	आवेदक– मनोज कुमार पिता सुखीचन्द यादव, निवास ग्राम– ससबेड़ा पूर्वी, थाना– आई0ई0एल0, जिला– बोकारो के द्वारा एक आवेदन पत्र देकर सूचित किया गया है कि मौजा– ससबेड़ा, खाता सं0– 49, प्लॉट सं0– 340, रकवा– 10 डी0 उनके माता ज्योति देवी के नाम से दर्ज है। जिसका नियमित रूप से राजस्व जमा किया जाता है। उनके घर में गणेश यादव पिता स्व0 तेजो यादव पारिश्रमिक के आधार पर घरेलु कार्य किया करते थे। इनके पुत्र प्रियंजय कुमार यादव उर्फ विकास यादव ग्राम– ससबेड़ा पूर्वी, थाना– आई0ई0एल0, जिला– बोकारो द्वारा उनके जमीन का एक हिस्सा हड़पने की मंशा से फर्जी दस्तावेज के आधार पर विद्युत कनेक्शन लिया गया है तथा उक्त भू–भाग पर जबरन निर्माण कार्य करा रहे थे। जिसे थाना अधिकारी के हस्तक्षेप से निर्माण कार्य को रोका गया। उक्त जमीन पर वह पुनर्निर्माण करना चाहते है। इसलिए प्रश्नगत भूमि एवं मकान को खाली कराने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने हेतु अनुरोध किया गया है। उक्त प्राप्त शिकायत पत्र में उल्लेखित तथ्यों पर संबंधित राजस्व उप निरीक्षक से जाँच प्रतिवेदन की माँग करें। अभिलेख दिनांक– 06 / 03 / 2025 को रखें। 24/2/25 अंचल अधिकारी, गोमिया।	
06/03/2025	अभिलेख उपस्थापित। राजस्व उप निरीक्षक द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त। जो अभिलेखबद्ध है, उनके द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा– ससबेड़ा, थाना सं0– 105 के खाता सं0– 49, प्लॉट सं0– 340, कुल रकवा– 2.19 ए0 मध्ये रकवा– 0.10 ए0 भूमि रैयती खाते की है। खतियानी रैयत विरीया मांझी वगैरह पिता राजु मांझी है एवं जमाबंदी रैयत ज्योति देवी पति सुखी चन्द्र यादव है।	

आदेश की क्रम संख्या और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश के बारे के साथ
	जिसका रसिद जमांबदी पंजी II के पृष्ट सं0– 117/3 से वर्ष 2024–25 तक निर्गत है। उक्त भूमि जमाबंदी रैयत को मूल रैयत से भूमि बिहार विशेष अधिकार बयक्तीवास भूमि भुधारी अधिनियम के अंतर्गत से पर्चा से प्राप्त है। भूमि की मापी वाद सं0– 34/2024–25 के आलोक में दिनांक– 22.10.2024 को की गई। मापी उपरान्त प्राप्त हुआ है कि भूमि पर मकान निर्मित है। जिसमें एक आटा चक्की एक सिमेंट दुकान एवं एक श्रींगार दुकान है। उक्त निर्मित में प्रियंजय कुमार यादव के पिता जी उक्त मकान में कार्य करने हेतु मालिक द्वारा रखा गया था। परन्तु कार्य नहीं करने के बाद किराये पर रहने लगे। परन्तु अभी तक किरायेदार के द्वारा किराया नहीं भुगतान किया जा रहा है। मकान मालिक दुकान खाली करने हेतु आग्रह कर रहे है। परन्तु प्रियंजय कुमार यादव द्वारा खाली नहीं किया जा रहा है। भूमि का कुल रकवा– 10 डी0 है, जिसमें 01 डी0 पर आटा चक्की निर्मित है। कथन है कि 01 डी0 भूमि मूल रैयत से एग्रीमेंट द्वारा हासिल है। कागजात उपलब्ध नहीं कराया गया है। उक्त के आलोक में विपक्षी को सूचना निर्गत करें। अभिलेख सुनवाई हेतु दिनांक– 04/04/2025 को रखें। 6/3/25 अंचल अधिकारी, गोमिया।	1/04/25
04/04/2025	अभिलेख उपस्थापित। आवेदक की ओर से हाजिरी दी गई है। द्वितीय पक्ष की ओर से एक आवेदन पत्र समर्पित किया गया है। अधोहस्ताक्षरी के अन्य कार्यों में व्यस्तता के कारण न्यायालय कार्य नहीं किया जा सका। अभिलेख दिनांक-21/04/25 को रखें। 4.4.25 अंचल अधिकारी गोमिया।	

...तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ
1	2	3
..04/25	आवेदक की ओर से अर्जी की गई है। द्वितीय पक्ष अनुपस्थित। अधोहस्ताक्षरी के अन्य कार्यों में व्यस्त रहने के कारण न्यायालय कार्य नहीं हो सका। अभिलेख सुनवाई हेतु दिनांक - 05/05/2025 को रखें। 25.4.25 अंचल अधिकारी गोमिया।	
05/05/25	अभिलेख उपस्थापित। आवेदक की ओर से अर्जी की गई है। द्वितीय पक्ष अनुपस्थित। तत्कालीन पदाधिकारी के प्रशिक्षण कार्यक्रम में मुख्यालय से बाहर रहने के कारण न्यायालय कार्य नहीं सका। अभिलेख दिनांक - 23/05/2025 को रखें। 5.5.25 अंचल अधिकारी गोमिया।	
23/05/25	अभिलेख उपस्थापित। आवेदक की ओर से अर्जी की गई है। द्वितीय पक्ष अनुपस्थित है। अधोहस्ताक्षरी के अन्य कार्यों में व्यस्त रहने के कारण न्यायालय कार्य नहीं हो सका। To 09/06/2025 23.5.25 अंचल अधिकारी गोमिया।	
09/06/25	अभिलेख उपस्थापित। आवेदक की ओर से अर्जी की गई है। उन्हें सुना गया। अभिलेख आदेश पर रखें। 9.6.25 अंचल अधिकारी गोमिया।	

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	टिप्पणी के साथ
1	2	
10/06/2025	अभिलेख उपस्थापित। आवेदक को सुना गया एवं अभिलेख में संधारित द्वितीय पक्ष का जवाब तथा अन्य कागजातों का अवलोकन किया गया। जिससे ज्ञात हुआ कि प्रश्नगत भूमि से संबंधित मामला i.e. Original Suit 04/2025 Gouri Lal Murmu v/s Jyoti Devi & Ors. माननीय न्यायालय Civil Judge (Jr. Div.) Bermo at Tenughat में विचाराधीन है। वर्णित परिस्थिति में उस वाद में किसी भी तरह का आदेश पारित किया जाना उचित नहीं होगा। अतः आवेदक के आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है एवं वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। लेखापित एवं संशोधित। 10/6/25 अंचल अधिकारी गोमिया। 10/6/25 अंचल अधिकारी गोमिया।	

Digitally signed by Md Aftab Alam
Date: 2025.06.24 11:24:46 +05:30
Location: 192.168.33.139